



वशिव आर्द्रभूमि दिवस

चर्चा में क्यों?

पूरी दुनिया में 2 फरवरी को वशिव आर्द्रभूमि दिवस (World Wetland Day) के रूप में मनाया गया। गौरतलब है कि आर्द्रभूमि दिवस का आयोजन लोगों और हमारे ग्रह के लिये आर्द्रभूमि की महत्त्वपूर्ण भूमिका के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिये किया जाता है।

प्रमुख बदि

- इसी दिन वर्ष 1971 में ईरान के शहर रामसर में कैस्पियन सागर के तट पर आर्द्रभूमि पर एक अभिसमय (Convention on Wetlands) को अपनाया गया था।
- वशिव आर्द्रभूमि दिवस पहली बार 2 फरवरी, 1997 को रामसर सम्मलेन के 16 वर्ष पूरे होने पर मनाया गया था।
- वर्ष 2019 के लिये वशिव आर्द्रभूमि दिवस की थीम 'आर्द्रभूमि और जलवायु परिवर्तन' (Wetlands and Climate Change) थी।
- आर्द्रभूमि/वेटलैंड्स पर रामसर अभिसमय/कन्वेंशन की स्थायी समिति द्वारा अगले दो वर्षों 2020 और 2021 के लिये स्वीकृत की गई थीम्स हैं-
- 2020- आर्द्रभूमि और जैव-विविधता (Wetlands and Biodiversity)
- 2021- आर्द्रभूमि और जल (Wetlands and Water)

भूमिका

- पृथ्वी पर जीवों के विकास की एक लंबी कहानी है और इस कहानी का सार यह है कि धरती पर सरिफ हमारा ही अधिकार नहीं है अपत्ति इसके विभिन्न भागों में वदियमान करोड़ों प्रजातियों का भी इस पर उतना ही अधिकार है जतिना कि हमारा। नदियों, झीलों, समुद्रों, जंगलों और पहाड़ों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पादपों एवं जीवों (समृद्ध जैव-विविधता) को देखकर हम रोमांचित हो उठते हैं।
- जब जल एवं स्थल दोनों स्थानों पर समृद्ध जैव-विविधता देखने को मिलती है तो सोचने वाली बात यह है कि जिस स्थान पर जलीय एवं स्थलीय जैव-विविधताओं का मलिन होता है वह जैव-विविधता की दृष्टि से अपने आप में कतिना समृद्ध होगा?
- दरअसल वेटलैंड (आर्द्रभूमि) एक विशिष्ट प्रकार का पारस्थितिकीय तंत्र है तथा जैव-विविधता का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। जलीय एवं स्थलीय जैव-विविधताओं का मलिन स्थल होने के कारण यहाँ वन्य प्राणी प्रजातियों व वनस्पतियों की प्रचुरता पाए जाने की वज़ह से वेटलैंड समृद्ध पारस्थितिकीय तंत्र है।
- आज के आधुनिक जीवन में मानव को सबसे बड़ा खतरा जलवायु परिवर्तन से है और ऐसे में यह ज़रूरी हो जाता है कि हम अपनी जैव-विविधता का संरक्षण करें।
- वर्ष 2017 में आर्द्रभूमियों के संरक्षण के लिये वेटलैंड्स (संरक्षण एवं प्रबंधन नियम) 2017 (Wetland (Conservation and Management) Rules, 2017) नामक एक नया वैधानिक ढाँचा (Legal Framework) लाया गया है।

क्या है वेटलैंड?

- नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र को आर्द्रभूमि या वेटलैंड (Wetland) कहा जाता है। दरअसल, वेटलैंड्स वैसे क्षेत्र हैं जहाँ भरपूर नमी पाई जाती है और इसके कई लाभ भी हैं।
- आर्द्रभूमि जल को प्रदूषण से मुक्त बनाती है। आर्द्रभूमि वह क्षेत्र है जो वर्ष भर आंशिक रूप से या पूर्णतः जल से भरा रहता है।
- भारत में आर्द्रभूमि ठंडे और शुष्क इलाकों से लेकर मध्य भारत के कटबिंधीय मानसूनी इलाकों और दक्षिण के नमी वाले इलाकों तक फैली हुई है।

क्यों महत्त्वपूर्ण हैं वेटलैंड्स?

बायोलॉजिकल सुपर मार्केट:

- वेटलैंड्स को बायोलॉजिकल सुपर-मार्केट कहा जाता है, क्योंकि ये वसित भोज्य-जाल (Food-Webs) का निर्माण करते हैं।
- फूड-वेब्स यानी भोज्य-जाल में कई खाद्य श्रृंखलाएँ शामिल होती हैं और ऐसा माना जाता है कि फूड-वेब्स पारस्थितिकीय तंत्र में जीवों के खाद्य व्यवहारों का वास्तविक प्रतिनिधित्व करते हैं।
- एक समृद्ध फूड-वेब समृद्ध जैव-विविधता का परिचायक है और यही कारण है कि इसे बायोलॉजिकल सुपर मार्केट कहा जाता है।

■ कडिनीज ऑफ द लैंडस्केप:

- ◆ वेटलैंड्स को 'कडिनीज ऑफ द लैंडस्केप' (Kidneys of the Landscape) यानी 'भू-दृश्य के गुरदे' भी कहा जाता है।
- ◆ जिस प्रकार से हमारे शरीर में जल को शुद्ध करने का कार्य कडिनी द्वारा किया जाता है, ठीक उसी प्रकार वेटलैंड तंत्र जल-चक्र द्वारा जल को शुद्ध करता है और प्रदूषणकारी अवयवों को निकाल देता है।
- ◆ जल एक ऐसा पदार्थ है जिसकी अवस्था में बदलाव लाना अपेक्षाकृत आसान है।
- ◆ जल-चक्र पृथ्वी पर उपलब्ध जल के एक रूप से दूसरे में परिवर्तित होने और एक भंडार से दूसरे भंडार या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचने की चक्रीय प्रक्रिया है।
- ◆ जलीय चक्र नरितर चलता है तथा स्रोतों को स्वच्छ रखता है और पृथ्वी पर इसके अभाव में जीवन असंभव हो जाएगा।

■ उपयोगी वनस्पतियों एवं औषधीय पौधों के उत्पादन में सहायक:

- ◆ वेटलैंड्स जंतु ही नहीं बल्कि पादपों की दृष्टि से भी एक समृद्ध तंत्र है, जहाँ उपयोगी वनस्पतियाँ एवं औषधीय पौधे भी प्रचुर मात्रा में मिलते हैं।
- ◆ अतः ये उपयोगी वनस्पतियाँ एवं औषधीय पौधों के उत्पादन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

■ लोगों की आजीविका के लिये महत्त्वपूर्ण:

- ⇒ दुनिया की तमाम बड़ी सभ्यताएँ जलीय स्रोतों के निकट ही बसती आई हैं और आज भी वेटलैंड्स वशिव में भोजन प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
- ⇒ वेटलैंड्स के नज़दीक रहने वाले लोगों की जीविका बहुत हद तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन पर निर्भर होती है।

■ पर्यावरण संरक्षण के लिये महत्त्वपूर्ण:

- ⇒ वेटलैंड्स ऐसे पारस्थितिकीय तंत्र हैं जो बाढ़ के दौरान जल के आधिक्य का अवशोषण कर लेते हैं।
- ⇒ इस तरह बाढ़ का पानी झीलों एवं तालाबों में एकत्रित हो जाता है, जिससे मानवीय आवास वाले क्षेत्र जलमग्न होने से बच जाते हैं।
- ⇒ इतना ही नहीं 'कार्बन अवशोषण' व 'भू जल स्तर' में वृद्धि जैसी महत्त्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वहन कर वेटलैंड्स पर्यावरण संरक्षण में अहम योगदान देते हैं।

वेटलैंड्स संरक्षण के अंतरराष्ट्रीय प्रयास

■ रामसर कन्वेंशन

- ⇒ रामसर वेटलैंड्स कन्वेंशन एक अंतर-सरकारी संधि है, जो वेटलैंड्स और उनके संसाधनों के संरक्षण और बुद्धिमितापूर्ण उपयोग के लिये राष्ट्रीय कार्य और अंतरराष्ट्रीय सहयोग का ढाँचा उपलब्ध कराती है।
- ⇒ 2 फरवरी, 1971 को वशिव के वभिनिन देशों ने ईरान के रामसर में दुनिया के वेटलैंड्स के संरक्षण हेतु एक संधि पर हस्ताक्षर किये थे, इसीलिये इस दिनी वशिव वेटलैंड्स दिवस का आयोजन किया जाता है।
- ⇒ वर्ष 2015 तक के आँकड़ों के अनुसार, अब तक 169 दल रामसर कन्वेंशन के प्रति अपनी सहमति दर्ज़ करा चुके हैं जिनमें भारत भी एक है।
- ⇒ वर्तमान में 2200 से अधिक वेटलैंड्स हैं, जिनमें अंतरराष्ट्रीय महत्त्व के वेटलैंड्स की रामसर सूची में शामिल किया गया है और इनका कुल क्षेत्रफल 2.1 मिलियन वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है।
- ⇒ गौरतलब है कि रामसर कन्वेंशन वशिष पारस्थितिकी तंत्र के साथ काम करने वाली पहली वैश्विक पर्यावरण संधि है।
- ⇒ वल्लिप्त हो रहे वेटलैंड्स के संबंध में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ध्यान दिये जाने का आह्वान करने के उद्देश्य से रामसर वेटलैंड्स कन्वेंशन का आयोजन किया गया था।
- ⇒ इस कन्वेंशन में शामिल होने वाली सरकारें वेटलैंड्स को पहुँची हानि और उनके स्तर में आई गतिवट को दूर करने के लिये सहायता प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध हैं।

■ रामसर कन्वेंशन में तय लक्ष्य:

- ⇒ इस कन्वेंशन में यह तय किया गया था कि पर्यावरण संरक्षण के लिये अंतरराष्ट्रीय विचार-विमर्श और सहयोग के ढाँचे की ज़रूरत है।

■ रामसर साइट्स

//

वेटलैंड्स संरक्षण के लिये राष्ट्रीय पर्यास

■ राष्ट्रीय वेटलैंड संरक्षण कार्यक्रम

- ◆ सरकार ने वर्ष 1986 के दौरान संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से राष्ट्रीय वेटलैंड संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया था।
- ◆ इस कार्यक्रम के अंतर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 115 वेटलैंड्स की पहचान की गई थी, जिनके संरक्षण और प्रबंधन हेतु पहल करने की ज़रूरत है।
- ◆ इस योजना का उद्देश्य देश में वेटलैंड्स के संरक्षण और उनका बुद्धिमितापूर्ण उपयोग करना है, ताकि उनमें आ रही गरिबत को रोका जा सके।

क्या है आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियमावली, 2017

वदिति हो कि वर्ष 2017 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वेटलैंड्स के संरक्षण से संबंधित नए नियमों को अधिसूचित किया गया है। आर्द्रभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियमावली, 2017 पहले के दशा-नरिदेशों का स्थान लेगी, जो 2010 में लागू हुए थे।

■ नए नियमों में व्याप्त वसिगतथिँ

- ◆ 2010 के नियमों में वेटलैंड्स से संबंधित कुछ मानदंडों को स्पष्ट किया गया था, जैसे कि प्राकृतिक सौंदर्य, पारस्थितिक संवेदनशीलता, आनुवंशिक विविधता, ऐतिहासिक मूल्य आदि। लेकिन नए नियमों में यानी 2017 के नियमों में इन बातों का उल्लेख नहीं किया गया है।
- ◆ वेटलैंड्स में जारी गतिविधियों पर लगने वाला प्रतिबंध 'बुद्धिमितापूर्ण उपयोग' के सिद्धांत के अनुसार किया जाएगा जो कि राज्य के आर्द्रभूमि प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
- ◆ नए नियमों के तहत आर्द्रभूमि संरक्षण को हानि पहुँचाने वाली गतिविधि से बचाव के लिये ऐसे दशा-नरिदेश जारी करने का अधिकार (जो कि प्रकृति में बाध्यकारी हो) किसी भी प्राधिकरण को नहीं दिया गया है।
- ◆ अतः स्पष्ट है कि नए नियम वेटलैंड्स संरक्षण के लिये नाकाफी साबित होंगे।

■ नए नियमों की कुछ अच्छी बातें:

- ◆ दरअसल, यह कहना भी उचित नहीं होगा कि वर्ष 2017 के नियमों में सब कुछ बुरा ही है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें भी शामिल हैं।
- ◆ नए नियमों में वेटलैंड्स परबंधन के प्रति विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण अपनाया गया है, ताकि क्षेत्रीय वशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और राज्य अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित कर सकें।
- ◆ ज्यादातर नरिणय राज्य के आर्दरभूमिप्राधिकरण द्वारा लिये जाएंगे, जिसकी नगिरानी राष्ट्रीय वेटलैंड समितिद्वारा की जाएगी। इस प्रकार की व्यवस्था सहकारी संघवाद की भावना को मज़बूत करती है।

आगे की राह

- दरअसल, देश में मौजूद 26 वेटलैंड्स को ही संरक्षित किया गया है, लेकिन ऐसे हज़ारों वेटलैंड्स हैं जो जैविक और आर्थिक रुप से महत्वपूर्ण तो हैं लेकिन उनकी कानूनी स्थिति स्पष्ट नहीं है। हालाँकि, नए नियमों में एक स्पष्ट परिभाषा देने का प्रयास किया गया है।
- वेटलैंड्स योजना परबंध और नगिरानी संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के अंतर्गत आते हैं। हालाँकि अनेक कानून वेटलैंड को संरक्षित करते हैं, लेकिन इनकी पारस्थितिकी के लिये विशेष रूप से कोई कानून नहीं है।
- इनके लिये समन्वित पहुँच आवश्यक है, क्योंकि ये बहु-उद्देश्यीय उपयोगिता हेतु आम संपत्ति हैं और इनका संरक्षण और परबंधन करना सभी की ज़िम्मेदारी है।
- वैज्ञानिक जानकारी योजनाकारों को आर्थिक महत्त्व और लाभ समझाने में मदद करेगी। अतः वेटलैंड्स के वैज्ञानिक महत्त्व के प्रति नीतिनिर्माताओं को जागरूक बनाना होगा।
- जहाँ तक जागरूकता का प्रश्न है तो आम जनता को भी इन वेटलैंड्स के संरक्षण के प्रति जागरूक बनाए जाने की ज़रूरत है।
- नए नियमों की बात करें तो वेटलैंड्स किसी वशिष्ट प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के तहत अंकित नहीं हैं और इस पारस्थितिकी तंत्र के परबंधन की प्राथमिक ज़िम्मेदारी पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के हाथ में रही है।
- इस दृष्टि से वेटलैंड्स के संरक्षण जैसे संवेदनशील मामले में राज्यों की सहभागिता महत्वपूर्ण है लेकिन साथ में यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि इनके संरक्षण से कोई समझौता न हो।